संख्या-06/2024/60/52-4-2024-Budget14/2017

प्रेषक,

हरिबख्श सिंह,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सचिव/कार्यपालक अधिकारी,

उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति,

लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक-27 मार्च, 2024**

विषय- हज-2023 में खादिमुल हुज्जाज पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-5096/अ0सं0क0नि0-52/लेखा/बजट-प्रा0/2023-24 दिनांक 30.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में हज, 2023 में हज यात्रियों की सेवा हेतु खादिमुल हुज्जाज (हज सेवक) को सऊदी अरब भेजे जाने के फलस्वरूप होने वाले कुल व्यय रु0 1,20,85,730.00 के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 60,42,865/- को बी0एम0-09 के माध्यम से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- **इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि** अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-03-अरबी पाठशालाओं को अनुदान-31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि 101547.04 लाख के सापेक्ष सम्भावित बचतों में से हज यात्रियों की सेवा हेतु खादिमुल हुज्जाज (हाजी सेवक) को सऊदी अरब भेजे जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय रू0 60,42,865/-(रू0 साठ लाख बयालिस हजार आठ सौ पैंसठ मात्र) हेतु अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2250-अन्य सामाजिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-प्रान्तीय हज समिति को अनुदान-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) मद में धनराशि रू0 60,42,865/-(रू0 साठ लाख बयालिस हजार आठ सौ पैंसठ मात्र) को पुनर्विनियोग के माध्यम से आपके निवर्तन पर रखते हुये निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 में दिये गये निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) हज यात्रियों की सेवा हेतु खादिमुल हुज्जाज (हाजी सेवक) को सऊदी अरब भेजे जाने हेतु भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(4) जिस मद से धनराशि सक्रंमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र माह मार्च, 2024 की समाप्ति पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(6) धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(7) धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अनतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक है, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(8) धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।अत: व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

3- उपर्युक्त मद पर होने वाले व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-03-अरबी पाठशालाओं को अनुदान-31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में उपलब्ध बचत धनराशि को अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2250-अन्य सामाजिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-प्रान्तीय हज समिति को अनुदान-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा दी गयी सहमति एवं तत्क्रम में आवंटित संख्या-आर.ई.-बजट-1-623-ई-4-238-x-2023-24, दिनांक 14.03.2024 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरि बख्श सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-60(1)/52-4-2024- तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी कलेक्टेट, कैसरबाग, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6- वित्त (ई-4) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3

7- अनुभाग अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(हरि बख्श सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।